न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 119/2021 दायरा दिनांक : 05.10.2021

उनवान

प्रेमबाई पत्नी स्वर्गीय भगवानदास उर्फ भगवानलाल, जाति महाजन, निवासी अस्पताल रोड़ बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1 नगर परिषद, बारां जर्ये आयुक्त नगर परिषद, बारां

2 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां

3 उप पंजीयक अधिकारी महोदय, बारां, जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ओ.पी.मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री तेजमल जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट 1 की ओर से

श्री संदीप सक्सैना, नायब तहसीलदार, रेस्पोडेंट 2 की ओर से तथा शेष रेस्पोडेंट नम्बर 3 अनुपस्थित ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.09.2021 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिससे वाद संख्या 43/प्रार्थना पत्र/2018 वास्ते प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. खारिज किया गया।

निर्णय **दिनांक : 22.02.2023**

1 वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि–

2 कस्बा बारां की आराजी खसरा नम्बर 377 रकबा 0.61 हेक्टर, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.04 हेक्टर कुल दो किता कुल रकबा 0.65 हेक्टर सम्वत 2072–75 की जमाबंदी में अप्रार्थी कम 1 नगर परिषद बारां के खातेदारी में दर्ज है।

3 कस्बा बारां की आराजी खसरा नम्बर 284 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा जिसके हाल सैटलमेंट सम्वत 2038–2057 में खसरा नम्बर 377 रकबा 0.61 हेक्टर, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.04 हेक्टर कायम किये गये, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 377 रकबा 0.61 हेक्टर गैर मुमकिन आबादी व खसरा नम्बर 378 रकबा 0.04 हेक्टर जो वर्तमान में खसरा नम्बर 378 रकबा 0.17 हेक्टर गैर मुमकिन आबादी दर्ज है।

4 उक्त आराजी प्रार्थीया के पति स्वर्गीय भगवानदास उर्फ भगवान लाल पुत्र सूरजमल, जाति महाजन को दिनांक 11.07.1960 को खसरा नम्बर 284 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 278 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा आवंटित की गई थी, जिसका नोट

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खसरा गिरदावरी सम्वत 2015—2018 के कॉलम संख्या 32 में खसरा नं. 284 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा में आवंटन दिनांक 11.07.1960 का नोट अंकित है।

5 इसी प्रकार खसरा गिरदावरी सम्वत 2019 से 20 में कॉलम संख्या 16 में अलोटमेंट का नोट अंकित है जो खसरा नम्बर 284 रकबा 15 बिस्वा किस्म बंजड थी जो प्रार्थीया के पति को आवंटित की गई थी, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा सैटलमेंट सम्वत 2038—57 में नई जमाबंदी तैयार करते वक्त खसरा नम्बर 284 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा के नये नम्बर 377 रकबा 0.61 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 378 रकबा 0.04 हेक्टर कायम करते वक्त खातेदारी में भगवानदास उर्फ भगवानलाल पुत्र सूरजमल, जाति महाजन का नाम अंकित न करके सिवायचक दर्ज कर दिया गया व उसके पश्चात बिना प्रार्थीया के पति व प्रार्थीया को सुने राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन किया गया व राजस्व कर्मचारियों द्वारा पूर्व में 11.07.1960 से पूर्व प्रार्थीया के पति का एवं प्रार्थीया के पति के देहान्त के पश्चात प्रार्थीया का आज दिनांक तक निरन्तर कब्जा काश्त होने के बावजूद बिना उसे किसी प्रकार की सूचना दिये उक्त दोनों खसरा नम्बर 377 व 378 गैर मुमकिन आबादी के रूप में दर्ज कर दिये गये जो वर्तमान में नगर परिषद बारां के खाते दर्ज है किन्तु वर्तमान में भी कब्जा काश्त प्रार्थीया का है व मौके पर सरसों की फसल खड़ी हुई है।

6 इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई त्रुटि को प्रार्थीया दुरूस्त करवाकर अपने पति स्वर्गीय भगवानदास उर्फ भगवान लाल पुत्र सूरजमल, जाति महाजन को किये गये आवंटन दिनांक 11.07.1960 के आधार पर अपने खातेदारी अधिकारों की

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

घोषणा करवाकर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करा सकने की अधिकारिणी एवं नालिशी है तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

7 आराजी खसरा नम्बर 377 रकबा 0.61 हेक्टर व खसरा नम्बर 378 रकबा 0.17 हेक्टर वर्तमान में गैर मुमकिन आबादी के रूप में अप्रार्थी क्रम 1 नगर परिषद बारां (नगर पालिका बारां) के खातेदारी में दर्ज है। इस कारण अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा गलत रूप से प्रार्थीया के स्वामित्व एवं उसके पति को आवंटितशुदा आराजी का नोटिस गलत रूप से प्रार्थीया के स्थान पर प्रार्थीया के काश्त व्यवस्था के प्रतिनिधि श्रवणलाल पुत्र पृथ्वीलाल, जाति मीणा, निवासी मेलखेडी को गलत रूप से जारी किया गया है, जबकि दिनांक 11.07.1960 के पूर्व से ही प्रार्थीया के पति एवं उनके देहान्त के बाद से प्रार्थिया का निरन्तर जायज अर्सा 70 वर्ष से अधिक से कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार लम्बे समय से कब्जे के आधार पर भी प्रार्थीया के पति को आवंटन के आधार पर भी उसके खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके हैं।

8 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होने की दिनांक 15.10.1955 के पूर्व ही प्रार्थीया के पति का कब्जा काश्त होने से स्वतः ही प्रार्थीया के पति खातेदार हो चुके थे। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(4) के अनुसार भी प्रार्थीया के हक व हकूक परिपक्व होने के कारण प्रार्थीया कस्बा बारां की आराजी जो पूर्व खसरा नम्बर 284 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा वर्तमान सैटलमेंट सम्वत 2038—57 में कायम किये गये खसरा नम्बर 377 रकबा 0.61 हेक्टर व खसरा नम्बर 378 रकबा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

0.17 हेक्टर पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर अप्रार्थी कम 1 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटवाकर अपना नाम अंकित करा पा सकने की अधिकारिणी है।

9 प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का संतुलन भी हर प्रकार से प्रार्थीया के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण अपने उद्देश्य में कामयाब हो गये तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी।

10 अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थीया के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नमबर 377 रकबा 0.61 हेक्टर व खसरा नम्बर 378 रकबा 0.04 हेक्टर के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की ताफैसला वाद यथास्थिति बनाये रखे जाने एवं प्रार्थीया के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत अप्रार्थीगण न तो स्वयं करें, न अपने किसी प्रतिनिधि से करावे, प्रार्थीया को शांतिपूर्वक उपभोग एवं उपयोग करने दे।

11 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

12 अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके कस्बा बारां की आराजी खसरा नम्बर 377 रकबा 0.61 हेक्टर, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.04 हेक्टर कुल

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दो किता कुल रकबा 0.65 हेक्टर सम्वत 2072–75 की जमाबंदी में अप्रार्थी कम 1 नगर परिषद बारां के खातेदारी में दर्ज है।

13 कस्बा बारां की आराजी खसरा नम्बर 284 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा जिसके हाल सैटलमेंट सम्वत 2038–2057 में खसरा नम्बर 377 रकबा 0.61 हेक्टर, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.04 हेक्टर कायम किये गये, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 377 रकबा 0.61 हेक्टर गैर मुमकिन आबादी व खसरा नम्बर 378 रकबा 0.04 हेक्टर जो वर्तमान में खसरा नम्बर 378 रकबा 0.17 हेक्टर गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। उक्त आराजी प्रार्थीया के पति स्वर्गीय भगवानदास उर्फ भगवान लाल पुत्र सूरजमल, जाति महाजन को दिनांक 11.07.1960 को खसरा नम्बर 284 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 278 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा आवंटित की गई थी, जिसका नोट खसरा गिरदावरी सम्वत 2015–2018 के कोलम संख्या 32 में खसरा नं. 284 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा में आवंटन दिनांक 11.07.1960 का नोट अंकित है।

14 इसी प्रकार खसरा गिरदावरी सम्वत 2019 से 20 में कॉलम संख्या 16 में अलोटमेंट का नोट अंकित है जो खसरा नम्बर 284 रकबा 15 बिस्वा किस्म बंजड थी जो प्रार्थीया के पति को आवंटित की गई थी, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा सैटलमेंट सम्वत 2038–57 में नई जमाबंदी तैयार करते वक्त खसरा नम्बर 284 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा के नये नम्बर 377 रकबा 0.61 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 378 रकबा 0.04 हेक्टर कायम करते वक्त खातेदारी में भगवानदास उर्फ भगवानलाल पुत्र सूरजमल, जाति महाजन का नाम अंकित न करके सिवायचक दर्ज कर

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिया गया व उसके पश्चात बिना प्रार्थीया के पति व प्रार्थीया को सुने राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन किया गया व राजस्व कर्मचारियों द्वारा पूर्व में दिनांक 11.07.1960 से पूर्व प्रार्थीया के पति का एवं प्रार्थीया के पति के देहान्त के पश्चात प्रार्थीया का आज दिनांक तक निरन्तर कब्जा काश्त होने के बावजूद बिना उसे किसी प्रकार की सूचना दिये उक्त दोनों खसरा नम्बर 377 व 378 गैर मुमकिन आबादी के रूप में दर्ज कर दिये गये जो वर्तमान में नगर परिषद बारां के खाते दर्ज है किन्तु वर्तमान में भी कब्जा काश्त प्रार्थीया का है व मौके पर सरसों की फसल खड़ी हुई है।

15 इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई त्रुटि को प्रार्थीया दुरूस्त करवाकर अपने पति स्वर्गीय भगवानदास उर्फ भगवान लाल पुत्र सूरजमल, जाति महाजन को किये गये आवंटन दिनांक 11.07.1960 के आधार पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करा सकने की अधिकारिणी एवं नालिशी है तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

16 आराजी खसरा नम्बर 377 रकबा 0.61 हेक्टर व खसरा नम्बर 378 रकबा 0.17 हेक्टर वर्तमान में गैर मुमकिन आबादी के रूप में अप्रार्थी कम 1 नगर परिषद बारां/नगर पालिका बारां के खातेदारी में दर्ज है। इस कारण अप्रार्थी कम 1 द्वारा गलत रूप से प्रार्थीया के स्वामित्व एवं उसके पति को आवंटितशुदा आराजी का नोटिस गलत रूप से प्रार्थीया के स्थान पर प्रार्थीया के काश्त व्यवस्था के प्रतिनिधि श्रवणलाल पुत्र पृथ्वीलाल, जाति मीणा, निवासी मेलखेडी को गलत रूप से जारी किया गया है, जबकि दिनांक 11.07.1960 के पूर्व से ही प्रार्थीया के पति एवं

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

उनके देहान्त के बाद से प्रार्थिया का निरन्तर जायज अर्सा 70 वर्ष से अधिक से कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार लम्बे समय से कब्जे के आधार पर भी प्रार्थीया के पति को आवंटन के आधार पर भी उसके खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके हैं।

17 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होने की दिनांक 15.10.1955 के पूर्व ही प्रार्थीया के पति का कब्जा काश्त होने से स्वतः ही प्रार्थीया के पति खातेदार हो चुके थे। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(4) के अनुसार भी प्रार्थीया के हक व हकूक परिपक्व होने के कारण प्रार्थीया कस्बा बारां की आराजी जो पूर्व खसरा नम्बर 284 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा वर्तमान सैटलमेंट सम्वत 2038–57 में कायम किये गये खसरा नम्बर 377 रकबा 0.61 हेक्टर व खसरा नम्बर 378 रकबा 0.17 हेक्टर पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर अप्रार्थी कम 1 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटवाकर अपना नाम अंकित करा पा सकने की अधिकारिणी है।

18 प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का संतुलन भी हर प्रकार से प्रार्थीया के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण अपने उद्देश्य में कामयाब हो गये तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी।

19 प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थी कम 1 की ओर से एवं अप्रार्थी कम 2 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम बारां सम्वत 2072–75 खाता संख्या 495,

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

नकल आवंटन रजि. सत्र 1960, नकल नक्शा ट्रेस, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038–57 ग्राम बारां, नकल जमाबंदी ग्राम बारां सम्वत 2064–67 खाता संख्या 432 पेश की गई।

20 बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौराने वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके कस्बा बारां में स्थित है जो नगर परिषद बारां के खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 377 रकबा 0.61 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 378 रकबा 0.04 हेक्टर भूमि दिनांक 11.07.1960 को भगवान लाल को आवंटित हुई थी।

21 साबिक खसरा नम्बर 284 रकबा 3.15 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 377 रकबा 0.61 हेकटर, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.04 हेक्टर कायम किए गए। वर्तमान खसरा नम्बर 377 रकबा 0.61 हेक्टर, गैर मु. आबादी, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.04 हेक्टर जो वर्तमान खसरा नम्बर 378 रकबा 0.17 हेक्टर गैर मु. आबादी दर्ज है।

22 उक्त आराजी प्रार्थी के पति भगवान लाल को दिनांक 11.07.1960 को खसरा नम्बर 284 रकबा 3.15 बीघा, खसरा नम्बर 278 रकबा 2.18 बीघा आवंटित की गई थी, परन्तु सैटलमेंट कर्मचारियों द्वारा नई जमाबंदी तैयार करते समय भगवानलाल के खाते दर्ज न करके सिवायचक दर्ज कर दिया। प्रार्थी द्वारा मिलान क्षेत्रफल की नकल पेश की गई। प्रार्थी का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। आज भी मेरा कब्जा है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

23 बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि विवादित भूमि नगर परिषद की सीमा में है। वादी द्वारा नगर परिषद को नोटिस नहीं दिया। बिना नोटिस दिये दावा पेश कर दिया है, जो चलने योग्य नहीं है। वादी द्वारा भगवानदास को आवंटन होना बताया है। आवंटन की नकल पेश नहीं की गई है, ना ही दखलनामा की नकल पेश की। भगवानदास उर्फ भगवानलाल दोनों अलग अलग नाम है। वादी द्वारा आवंटन का कोई विधिक दस्तावेज पेश नहीं किया है।

24 यदि वादी को भूमि आवंटन हुई थी तो वादी को गैर खातेदारी मिली होगी, कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। वादी द्वारा दखल देने का भी दखलनामा पेश नहीं किया है। वादी द्वारा दावे में कथन किया है सैटलमेंट का सैटलमेंट से पहले का भी कोई दस्तावेज वादी द्वारा पेश नहीं किया है। वादी को नगर परिषद ने अतिक्रमी मानते हुए नोटिस दिया है।

25 विवादित भूमि को जगदीश, हेमराज वगै0 ने 3 लाख रूपये में श्रवणलाल पुत्र पृथ्वीलाल, जाति मीणा को बेचान की गई जिसका 100 रूपये के स्टाम्प पर इकरारनामा लिखवाया गया। विवादित भूमि का नगर परिषद बारां ने वर्ष 2014 में छात्रावास बनाने के लिए प्रस्ताव ले लिया, जिसकी समिति भी बनी हुई है। प्रार्थी को खातेदारी प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। इनका (प्रार्थी) का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

26 बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी कस्बा बारां सम्वत 2072–75 खाता संख्या 495 के अनुसार खसरा नम्बर 377 रकबा 0.61 हेक्टर भूमि गैर मु. आबादी में दर्ज है। जो वर्तमान में नगर परिषद बारां के खातेदारी में है।

27 नकल आवंटन रजिस्टर वर्ष 1960 के अनुसार खसरा नम्बर 284 रकबा 3.15 बीघा एवं 278 रकबा 2.18 बीघा भूमि आवंटन होना अंकित है, परन्तु वादी द्वारा मात्र आवंटन रजिस्टर की फोटो प्रति पेश की गई है। प्रार्थी द्वारा आवंटन पट्टा एवं वादी को दखल देने का दखलनामा व गैर खातेदारी दर्ज होने की जमाबंदी पेश नहीं की गई। जिससे यह साबित हो सके कि वादी को उक्त भूमि आवंटन हुई थी। वादी आवंटन साबित करने में विफल रहे हैं। तहसीलदार से उक्त भूमि के सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई।

28 मौका कमिश्नर रिपोर्ट में बताया कि कस्बा बारां की आराजी खसरा नम्बर 377 रकबा 0.61 हेक्टर व खसरा नम्बर 378 रकबा 0.04 हेक्टर भूमि का मौका निरीक्षण किया गया। वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2072–75 में खसरा नम्बर 377 रकबा 0.61 हेक्टर भूमि गैर मु. आबादी नगर परिषद बारां के खाते में दर्ज है व खसरा नम्बर 378 रकबा 0.04 हेक्टर भूमि गै. मु. रास्ता खाता सरकार दर्ज है।

29 मौके पर उक्त भूमि पर प्रेम बाई पत्नी स्व. भगवानलाल, जाति महाजन निवासी अस्पताल रोड़ बारां का कब्जा पाया गया एवं वर्तमान में उक्त भूमि पर सरसों की फसल की बुवाई होना पाया

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

गया, इससे यह तथ्य सामने आया कि विवादित भूमि पर कब्जा प्रार्थीया का है, परन्तु विवादित भूमि गैर मु. आबादी नगर परिषद बारां के खाते में दर्ज है तथा गैर मु. रास्ता खाता सरकार के नाम दर्ज है। क्योंकि विवादित भूमि गैर मु. आबादी व गै. मु. रास्ता में दर्ज है और नगर परिषद बारां के खातेदारी में दर्ज होने के कारण गैर मु. आबादी की भूमि को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। सिविल न्यायालय को है तथा नगर परिषद बारां द्वारा छात्रावास हेतु भूमि का प्रस्ताव लेना वकील प्रतिवादी द्वारा बताया गया है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

30 उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

31 इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

32 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया न न्याय की मंशा को समझने का प्रयास किया गया। मनमाना विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.07.2021 पारित किया गया है, जो खिलाफ कानून होने के कारण काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

33 कस्बा बारां की आराजी खसरा नम्बर 377 रकबा 0.61 हेक्टर, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.04 हेक्टर कुल दो किता कुल रकबा 0.65 हेक्टर के संदर्भ में अपीलांट द्वारा एक वाद क्रमांक 99/2018 व प्रार्थना पत्र क्रमांक 43/2018 इस आशय का पेश

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किया गया कि सैटलमेंट सम्वत 2038–57 में खसरा नम्बर 377 रकबा 0.61 हेक्टर, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.04 हेक्टर के साबिक खसरा नम्बर 284 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा से कायम किये गये हैं। खसरा नम्बर 384 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 278 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा अपीलांटा के पति स्वर्गीय भगवानदास उर्फ भगवानलाल पुत्र सूरजमल, जाति महाजन को दिनांक 11.07.1960 को आवंटित किया गया था, जो आवंटन रजिस्टर सन् 1960 के कम संख्या 88 पर अपीलांटा के पति का नाम आवंटी के रूप में इन्द्राज किया हुआ है,

34 किन्तु राजस्व रेकार्ड में अमल नहीं होने के कारण खातेदारी में दर्ज नहीं किया गया, जबकि 11.07.1960 के पूर्व से अपीलांट के पति का एवं उनके देहान्त के पश्चात अपीलांटा का निरन्तर आज दिनांक तक कब्जा काश्त चला आ रहा है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा अपीलांटा के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 17.10.2019 को अपीलांटा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौका कमिश्नर श्री सुनील कुमार जंगम, भू अभिलेख निरीक्षक वृत बडा को 2000/– रूपये की फीस पर नियुक्त किया गया। फीस प्राप्ति की रसीद आदेशिका में अंकित है

35 जिस पर मौका कमिश्नर सुनील कुमार जंगम द्वारा दिनांक 19.10.2019 को मौका हल्का पटवारी बारां की उपस्थिति में देखा गया जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि मौके पर उक्त भूमि पर प्रेमबाई पत्नी श्री भगवानलाल, जाति महाजन, निवासी अस्पताल रोड़, बारां का कब्जा पाया गया एवं वर्तमान में उक्त भूमि पर सरसों की फसल की बुवाई होना पाया गया। इस

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आशय की रिपोर्ट प्राप्त होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटा का प्रार्थना पत्र निरस्त करने में भारी भूल की गई है व न्याय की मंशा को समझने का प्रयास नहीं किया गया, मनमाना व विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.07.2019 पारित किया गया है,

36 जबकि दिनांक 18.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड एवं मौके की जवाब पेश होने तक यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये गये हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का ठीक प्रकार से विवेचन न करते हुए उक्त निर्णय दिनांक 30.09.2021 पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

37 अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा रेकार्ड एवं उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब के बाहर जाकर बहस की गई है, जबकि अपनी जवाबदेही के बाहर जाकर किसी भी प्रकार की अप्रार्थी अधिवक्ता को बहस करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट के तहत जिन 3 बिन्दुओं को सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति, ठोस तथ्यों पर आधारित पर किसी भी प्रकार का कोई विवेचन नहीं किया गया और न ही उक्त तीनों बिन्दुओं को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में तय किया गया है।

38 इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नगर परिषद बारां को हस्तान्तरित मानने के आधार पर आबादी भूमि मानते हुए उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

द्वारा मौके पर अपीलांटा प्रेमबाई पत्नी स्वर्गीय भगवानदास उर्फ भगवानलाल, जाति महाजन, निवासी अस्पताल रोड़, बारां का कब्जा पाया गया तथा भूमि पर सरसों की फसल की बुवाई होना पाया गया । विवादित भूमि पर कब्जा प्रार्थीया का है यह अपने निर्णय में स्वीकार किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र गलत रूप से निरस्त फरमाया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2021 विधि विरूद्ध होने के कारण काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

39 अधीनस्थ न्यायालय को क्षेत्राधिकार के ऊपर मूल वाद में तनकीयात कायम की जानी चाहिए व लीगल तनकी का साक्ष्य लिया जाकर पहले निस्तारण किया जाना चाहिए इस प्रकार क्षेत्राधिकार का बिन्दु प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रकार से तय नहीं किया जा सकता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर ही प्रार्थना पत्र निस्तारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने के कारण आदेश दिनांक 30.09.2021 निरस्त किये जाने योग्य है।

40 अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट कम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब में कहीं भी क्षेत्राधिकार का बिन्दु नहीं उठाया गया है। इस प्रकार अपने जवाब की प्लीडिंग के बाहर रेस्पोडेंट कम 1 व 2 को बहस करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की प्लीडिंग के बाहर जाकर आदेश पारित करने का कोई विधि सम्मत अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2021 निरस्त किये जाने योग्य है।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

41 अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां का निर्णय दिनांक 30.09.2021 प्रकरण संख्या 43/2018 बउनवान प्रेमबाई बनाम नगर परिषद बारां निरस्त फरमाया जाकर अपीलांटा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 377 रकबा 0.61 हेक्टर व खसरा नम्बर 378 रकबा 0.04 हेकटर के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की ताफैसला वाद यथास्थिति बनाये रखे जाने एवं अपीलांटा के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं किये जाने बाबत रेस्पोडेंटगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि ताफैसला वाद रेस्पोडेंट किसी भी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं उत्पन्न करें, न अपने किसी प्रतिनिधि से करावें एवं अपीलांट को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने दे।

42 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

43 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट नगर परिषद बारां के द्वारा लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में कथन किया कि वादिनी अपी0 प्रेमबाई ने इस कथन के साथ वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90(ए), 92, व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया कि प्रेम बाई के पति भगवानदास उर्फ भगवान लाल को बारां में आराजी खसरा नम्बर 284 की 3 बीघा 15 बिस्वा जिसका वर्तमान में खसरा नम्बर 377 की 0.61 हेक्टर व खसरा नम्बर 378 की 0.04 हेक्टर है, दिनांक 11.07.1960 को आवंटित हुई थी, जिसका नोट खसरा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

गिरदावारी सम्वत 2019–2020 के कालम संख्या 16 में अंकित है।

44 उक्त भूमि सैटलमेंट सम्वत 2038 से 2057 में सिवाय चक दर्ज कर दी तथा जिसे बाद में गैर मुमकिन आबादी दर्ज कर नगर परिषद बारां को दे दी जो वर्तमान में नगर परिषद बारां की खातेदारी में दर्ज है।

45 वादिनी का कथन रहा है कि उक्त भूमि पर वादिनी के पति का कब्जा था तथा उनकी मृत्यु के पश्चात वादिनी काबिज चली आ रही है और इस आधार पर वादिनी उक्त भूमि को स्वयं की खातेदारी में दर्ज करवाने की प्रार्थना की है।

46 वादिनी उक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय में धारा 212 राज0 टी0 एक्ट का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जिसमें वादिनी ने अपना कब्जा बताया और तहसील रिपोर्ट में भी मौके पर सम्वत 2075 में वादिनी का कब्जा बताया।

47 अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर वादिनी का धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 30.09.2021 को खारिज कर दिया, वादिनी द्वारा अपील कर स्थगन आदेश प्राप्त करना चाहा, जिसे भी इस सम्माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 30.11.2021 को खारिज कर दिया राजस्व मण्डल में निगरानी भी प्रेमबाई की खारिज कर दी अब अपील में बहस है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

48 प्रस्तुत मामले में अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र सम्वत 2019 की खसरा गिरदावारी प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 11.07.1960 को खसरा नम्बर 284 की 3 बीघा 15 बिस्वा बंजड़ भूमि के आवंटन का नोट दर्ज है तथा आवंटन रजिस्टर 1955 की नकल प्रस्तुत की है, जिसमें भगवानदास आत्मज सूरजमल को दिनांक 11.07.1960 को खसरा नम्बर 284 की 3 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 278 की 2 बीघा 18 बिस्वा का आवंटन दर्ज है।

49 सम्वत 2019 की खसरा गिरदावरी के पश्चात कभी भी भगवानदास का नाम किसी भी गिरदावरी में दर्ज नहीं रहा, तथा सम्वत 2021 से भूमि बदस्तूर सिवाय चक दर्ज चली आ रही है। जहां तक आवंटन रजिस्टर 1955 का प्रश्न है वह किसी भी अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है और फर्जी बनाया गया प्रतीत होता है।

50 सम्वत 2019 में वाद वादिनी के पति का नाम कभी भी किसी भी जमाबंदी में नहीं आया और आवंटन पत्रावली है, रेकार्ड में नहीं है। वादिनी का यह कथन सर्वथा असत्य है कि सम्वत 2038 से 2057 के सैटलमेंट ने भूमि सिवाय चक दर्ज की हो। जबकि भूमि तो सम्वत 2020 के बाद से ही सिवाय चक दर्ज चली आ रही थी और उसके पश्चात उसे जिलाधीश द्वारा आबादी विस्तार के तहत आबादी घोषित कर नगर परिषद बारां को काफी समय पूर्व दे दी गई है क्योंकि न भूमि कभी वादिनी के पति की खातेदारी में रही और न कभी कब्जे में रही।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

51 जहां तक तहसील रिपोर्ट में वादिनी के कब्जे का प्रश्न है, वादिनी ने गलत तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां से दिनांक 18.06.2018 को एक तरफा विवादित भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश प्राप्त कर उसकी आड में विवादित आराजी पर फसल कर दी थी। वादिनी के धारा 212 राज. टीनेन्सी एक्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 30.09.2021 को खारिज होने के पश्चात नगर परिषद बारां ने विवादित भूमि में तारबन्दी कर पौधे लगा दिये हैं तथा वादिनी का कोई कब्जा नहीं है।

52 वैसे भी विवादित भूमि वर्षों से सिवाय चक व उसके बाद आबादी के रूप में नगर परिषद बारां के नाम दर्ज है। इस कारण आबादी भूमि के सम्बन्ध में वाद सुनने का अधिकार भी अधीनस्थ न्यायालय को नहीं होने के कारण वादिनी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज किया है जो सर्वथा उचित एवं विधि सम्मत है।

53 वादिनी को जिलाधीश के आदेश बाबत भूमि को आबादी में सम्परिवर्तित के विरूद्ध अपील करें, उसे निरस्त करवाये बिना वादिनी का प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है।

54 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वादिनी अपीलांट की अपील भी सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

55 हमने उभयपक्षों के विद्वान योग्य अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं कानूनी विनिर्णयों का ध्यानपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक अध्ययन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

56 प्रेमबाई के द्वारा पति स्वर्गीय भगवानदास उर्फ भगवान लाल पुत्र सूरजमल, जाति महाजन को किये गये आवंटन दिनांक 11.07.1960 की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि पेश नहीं की गई है। यदि यह मान भी लिया जावे कि आंवटन भगवानदास उर्फ भगवान लाल के नाम हो गया था तो भगवानदास उर्फ भगवान लाल का नाम गैर खातेदारी में दर्ज होना चाहिये था उसके बाद उसका नाम खातेदार के रूप में दर्ज होना चाहिये था किन्तुखसरा नम्बर 377 रकबा 0.61 हेक्टर, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.04 हेक्टर भूमि जमाबंदी सैटलमेंट में सिवाय चक दर्ज थी। जमाबंदी सम्वत 2044–47 में खसरा नम्बर 378 रकबा 0.04 हेक्टर भूमि नामान्तकरण संख्या 161 से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हुई व जमाबंदी सम्वत 2056–59 में खसरा नम्बर 377 रकबा 0. 61 हेक्टर भूमि नामान्तरकरण संख्या 332–470 से नगर पालिका बारां के नाम किस्म आबादी में दर्ज हुई। नगर परिषद बारां द्वारा विवादित भूमि में तारबंदी कर पौधे लगा दिये हैं। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां द्वारा पारित निर्णय उचित है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

57 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30. 09.2021 यथावत रखा जाता है ।

58 निर्णय आज दिनांक 22.02.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/2/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा